प्रकाशन हेतु अनुमोदित

# छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

## विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 989/2018

1 – द न्यू इंडिया एस्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिवीजनल मैनेजर के द्वारा, डिवीजन ऑफिस, मदीना मंजिल, जेल रोड, थाना, ताह तथा जिलारायपुर छत्तीसगढ़. (ट्रक सं. **CG17 H 2397** हेतु लिए बीमा )

---अपीलार्थी

बनाम

1 – सामलू पिता स्वर्गीय बोंगू 58 वर्ष (मृतक पिलुराम नाग के भाई) निवासी स्कूल कंडिका , सोनारपाल, तहसील लोहगुंडी थाना बदनजी जिला बस्तर छत्तीसगढ़।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 – मंगल राम नाग पिता स्वर्गीय समालु 35 वर्ष (मृतक पिलुराम नाग का भाई) स्कूल कंडिका , सोनारपाल, तहसील लोहगुंडी थाना बदनजी जिला बस्तर छत्तीसगढ़।

3 – प्रभाकर यादव पिता धनियाराम 43 वर्ष निवासी ग्राम मसोरा, थाना कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ ( चालक),

4 – हेमंत अरोड़ा पिता सुभाष अरोड़ा, 43 वर्ष निवासी गांव भोला रोड लाइन्स, दौ मिल्स नयापाड़ा जगदलपुर के पास, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।

---उत्तरवादीगण

## विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1524/2018

1 – समालु पिता स्वर्गीय बोंगु 58 वर्ष व्यवसाय कृषक (मृतक निवासी भाई),निवासी स्कूल कंडिनिवासी , सोनारपाल, तहसील लोहंडीगुडा, थाना बादानजी, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।जिला :बस्तर (जगदलपुर), छत्तीसगढ़

2 – मंगल राम नाग पिता श्री समालु 35 वर्ष व्यवसाय–कृषक (मृतक का भतीजा) निवासी स्कूल कंडिका , सोनारपाल, तहसील लोहंडीगुडा, थाना बादानजी, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।(दावाकर्ता), जिलाःबलौदाबाजार–भाटपारा, छत्तीसगढ़

----अपीलकर्तागण

**बनाम**

1 – प्रभाकर यादव पिता श्री धनियाराम 43 वर्ष , व्यवसाय व्यापार, निवासी गाँव मसोरा, निवासी पिता कोंडागांव, जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़।(दुर्घटनाग्रस्त वाहन का चालक ट्रक नं. सी. जी. 17 एच–2397)

2 – हेमंत अरोड़ा पिता श्री सुभाषचंद्र अरोड़ा, 43 वर्ष व्यवसाय–ट्रांसपोर्ट गैराज, निवासी भोला रोड लाइन्स, दौ मिल निवासी पास, नया कंडिका , जगदलपुर, जिला बस्तर छत्तीसगढ़।(दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मालिक ट्रक नं. सी. जी. 17 एच–2397)

3 – शाखा प्रबंधक, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, मदीना बिल्डिंग चिकित्सा कॉलेज रोड, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।(दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमाकर्ता ट्रक सं। सी. जी. 17 एच–2397)

––उत्तरवादीगण

---

बीमा कंपनी हेतु : श्री एन. हेतु. मालवीय, अधिवक्ता

दावाकर्ता हेतु :सुश्री अदिति जोशी, अधिवक्ता सुश्री मधुनिशा सिंह अधिवक्ता ,

मालिक तथा चालक हेतु : कोई नहीं, हालांकि तामिली की गयी ।

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश**

**पीठ पर निर्णय**

**19.08.2025**

1. चूंकि बीमा कंपनी और दावेदारों द्वारा दायर की गई उपरोक्त दोनों अपीलें 06.01.2017 को हुई एक ही दुर्घटना से संबंधित हैं, इसलिए इन पर एक साथ सुनवाई की जा रही है और इस संयुक्त निर्णय द्वारा इनका निराकरण किया जा रहा है।

2. दावा याचिका में दिए गए कथनों के अनुसार, ।06.01.2017 को मृतक पीलूराम की मृत्यु वाहन पंजीकरण संख्या CG17-H-2397 (जिसे आगे 'दुर्घटनाग्रस्त वाहन' कहा गया है) के लापरवाहीपूर्ण और तेज गति से चलाने के कारण हुई मोटर वाहन दुर्घटना में हो गई। वाहन चालक गैर–आवेदक संख्या 1/प्रभाकर यादव थादुर्घटना के समय, दुर्घटनाग्रस्त वाहन गैर–आवेदक संख्या 2 – हेमंत अरोरा के स्वामित्व में था और गैर–आवेदक संख्या 3 – द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से बीमित था।

3. मृतक पीलूराम की मृत्यु के कारण, याचिकाकर्ताओं ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत 11,70,000 रुपये के क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए एक दावा याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा गया कि दुर्घटना के समय मृतक पीलूराम की आयु लगभग 60 वर्ष थी और वे कृषि कार्य करके 4,80,000 रुपये प्रति वर्ष कमाते थे और हमाली का काम भी करते थे।हालाँकि,मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, बस्तर प्लेस, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ ने दावा मामला संख्या 104/2017 में दिनांक 09.03.2018 के निर्णय के माध्यम से दावाकर्ता को 3,86,400/– रुपये का क्षतिपूर्ति 9% प्रति वर्ष की दर से आवेदन की तिथि से भुगतान तक ब्याज सहित प्रदान किया, जबकि गैर–आवेदक संख्या 3/बीमा कंपनी पर दायित्व निर्धारित किया गया।उक्त निर्णय के विरुद्ध, बीमा कंपनी और दावेदारों ने इस न्यायालय के समक्ष अलग–अलग अपीलें दायर की हैं।

4. अपीलकर्ता–बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि न्यायाधिकरण ने मृतक के वयस्क भाई और वयस्क भतीजे को मृतक पर आश्रित मानने में विधिगत त्रुटि की है, जो साक्ष्यों के विपरीत है।जहां तक साक्ष्य का संबंध है, समालू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अलग–अलग रह रहे थे, उनके अलग–अलग घर और परिवार थे, वे स्वतंत्र रूप से निवास कर रहे थे और उनके पास अलग–अलग राशन कार्ड भी थे।उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधिकरण ने मामले के इन पहलुओं पर विचार नहीं किया और आश्रितता संबंधी प्रासंगिक कानूनों को लागू किए बिना, श्रीमती सरला वर्मा और अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम और अन्य, (2009) 6 एससीसी 121 के आलोक में मामले का फैसला किया, जहां यह अवैध रूप से माना गया कि दावेदार मृतक के आश्रित थे, जबकि वास्तव में वे नहीं थे।वे मृतक के विधिक वारिस या करीबी रिश्तेदार हो सकते हैं; हालांकि, उन्हें मृतक का आश्रित नहीं माना जा सकता है। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एसएलपी (सिविल) संख्या 7805/2022 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है, जोन्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम आनंद पाल और अन्य के मामले में दिया गया था।दिनांक 04.12.2023 को दिए गए निर्णय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विवाहित भाई–बहनों को मृतक का आश्रित नहीं माना जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर, उत्तरवादी /दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि मात्र इस आधार पर कि दावेदार अलग रह रहे हैं, यह नहीं माना जा सकता है कि वे स्वतंत्र थे।मृतक दावेदारों का आर्थिक रूप से भरण–पोषण कर रहा था, और वे वास्तव में आश्रित थे।"विधिक प्रतिनिधि" शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार "विधिक वारिस" में मृतक के भाई भी शामिल हैं।मोटर दुर्घटना के पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के हकदार हैं।इस प्रकार, उन्होंने सही तरीके से आवेदन दायर किया है, और अधिनिर्णय सही तरीके से पारित किया गया है।उन्होंने अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बनाम रमनभाई प्रभातभाई औरअन्य के मामले में दिए गए निर्णय (1987) 3 एससीसी 234 औरएन. जयश्री और अन्य बनाम चोलमंडालम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में दिए गए निर्णय (2022) 14 एससीसी 712 पर भरोसा किया है

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है।

7. अभिलेख के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि दावेदार मृतक के वास्तविक भाई तथा भतीजे हैं क्योंकि वे मोटर वाहन नियमों के तहत परिभाषित विधिक उत्तराधिकारी हैं, हालांकि, जहां तक निर्भरता का संबंध है, यह निर्धारित करना होगा कि दावेदार मृतक पर निर्भर हैं या नहीं।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (उपरोक्त) मामले में इस पहलू पर विचार किया हैकंडिका 11, 12, 13 और 15 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया हैं:---

"11. अधिनियम की धारा 110-ए की उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) में यह प्रावधान है कि दुर्घटना से उत्पन्न क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा या मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अभिकर्ता द्वारा किया जा सकता है।धारा 110-ए की उप-धारा (1) के परंतुक में प्रावधान है कि जहां मृतक के समस्त विधिक प्रतिनिधि क्षतिपूर्ति हेतु ऐसे किसी आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं, वहां आवेदन मृतक के समस्त विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ हेतु किया जाएगा तथा विधिक प्रतिनिधि जो इस तरह से शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें आवेदन में उत्तरवादी के रूप में शामिल किया जाएगा।अधिनियम में "विधीी प्रतिनिधि" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 (11) "विधीी प्रतिनिधि" को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो विधीी रूप से एक मृत व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जो मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है तथा जहां एक पक्ष उस व्यक्ति पर वाद करता है या उस पर वाद किया जाता है जिस पर संपत्ति पक्ष की मृत्यु पर इस तरह से वाद करता है।उपरोक्त परिभाषा, निस्संदेह, किसी मृत व्यक्ति या उस व्यक्ति की संपत्ति के संदर्भ में नहीं है जिस पर संपत्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु पर हस्तांतरित होती है।अधिनियम की धारा 110-ए की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि को मोटर वाहन दुर्घटना के कारण मृतक की मृत्यु के लिए दावा न्यायाधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार है, और उस उपधारा के खंड (ग) के तहत मृतक के सभी या किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी एजेंट को आवेदन करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 110-ए की उपधारा (1) का परंतुक कुछ महत्व का प्रतीत होता है।इसमें प्रावधान है कि क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन मृतक के सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा। अधिनियम की धारा 110-ए(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि (1) मुआवज़े के लिए आवेदन मृतक के विधिक प्रतिनिधियों या उनके एजेंट द्वारा किया जा सकता है, और (//) ऐसा आवेदन सभी विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा।इस प्रकार अधिनियम की धारा 110-ए में उन व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है जो क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन व्यक्तियों का भी जिनके लाभ के लिए ऐसा आवेदन किया जा सकता है। यह धारा एक प्रकार से घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 की धारा 1-ए के प्रावधानों का स्थान लेती है, जिसमें कहा गया है कि "प्रत्येक ऐसा वाद या कार्यवाही मृतक की

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पत्नी, पति, माता–पिता और संतान (यदि कोई हो) के लाभ के लिए होगी, जिसकी मृत्यु इस प्रकार हुई हो, और मृतक के निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि द्वारा और उनके नाम से दायर की जाएगी"।जबकि घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 में यह प्रावधान है कि ऐसा वाद मे मृतक की पत्नी, पति, माता–पिता और संतान के लाभ के लिए दायर किया जाएगा।अधिनियम की धारा 110–ए(1) में कहा गया है कि आवेदन मृतक के विधिक प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ के लिए किया जाएगा। किसी विशेष मामले में विधिक प्रतिनिधि का पत्नी, पति, माता–पिता और संतान होना अनिवार्य नहीं है। अधिनियम की धारा 110–बी से यह भी स्पष्ट है कि दावा न्यायाधिकरण को उचित समझे जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करने और क्षतिपूर्ति का भुगतान किए जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है।यह प्रावधान घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 की धारा 1–ए के तीसरे कंडिका का स्थान लेता है, जिसमें यह प्रावधान है कि ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय उन पक्षों को, जिनके लिए और जिनके लाभ के लिए मुकदमा दायर किया गया है, ऐसी मृत्यु से हुए नुकसान के अनुपात में उचित क्षतिपूर्ति दे सकता है। जिन व्यक्तियों के लाभ के लिए ऐसा आवेदन किया जा सकता है और जिन व्यक्तियों के लाभ के लिए आवेदन किया गया है, उनके बीच क्षतिपूर्ति का वितरण किस प्रकार किया जाएगा, इसका उल्लेख अधिनियम की धारा 110–ए और धारा 110–बी में किया गया है, और इस हद तक मोटर वाहन दुर्घटनाओं के संबंध में अधिनियम के प्रावधान घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों को अधिभावी करते हैं।ये प्रावधान महज प्रक्रियात्मक प्रावधान नहीं हैं।ये पक्षों के अधिकारों को वास्तविक रूप से प्रभावित करते हैं।घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 द्वारा सृजित कार्यवाही का अधिकार "अपनी प्रकृति में नया, अपनी गुणवत्ता में नया, अपने सिद्धांतों में नया, हर मायने में नया" था। इसी प्रकार, मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुआवजे के लिए आवेदन दाखिल करने का कानूनी प्रतिनिधियों को दिया गया अधिकार भी उतना ही नया और विस्तृत है।यह नया अधिकार घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के अंतर्गत आने वाली सभी सीमाओं से घिरा नहीं रह सकता है।नई परिस्थितियाँ और नए खतरे नई रणनीतियों और नए उपायों की मांग करते हैं।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. भारत के उच्च न्यायालयों में मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक व्यक्ति की पत्नी, पति, माता–पिता और संतान के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा अधिनियम की धारा 110–ए के अंतर्गत कार्रवाई की वैधता के संबंध में मतभेद है।इन सभी मामलों पर गुजरात उच्च न्यायालय ने मेघभाई खिमजी वीरा बनाम चतुरभाई तलजाभाई 1 के अपने निर्णय में विचार किया है।मामलों का पहला समूह वे हैं जिनका उल्लेख उपरोक्त निर्णय के कंडिका 5 में किया गया है, जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि किसी घातक दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे के लिए प्रत्येक दावा आवेदन 1855 अधिनियम की धारा 1–ए और 2 के मूल प्रावधानों द्वारा शासित होगा और मृतक के आश्रितों में से पत्नी, पति, माता–पिता या बच्चे के अलावा कोई भी अन्य आश्रित, नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रारम्भ करने का हकदार नहीं होगा।इन मामलों में पी.बी. कादर बनाम थचम्मा 2 और दीवान हरि चंद बनाम दिल्ली नगर निगम 3 शामिल हैं।पेरुमल बनाम जी. एलुसामी रेड्डीआर 4 1 ए. आई. आर. 1981 एम. पी. 151:1981 एमपीएलजे 302 ए. आई. आर. 1970 केर 241:1969 केर एलजे 491:आई. एल. आर. (1969) 2 केर 307:1970 लैब आईसी 1273 3 एयर 1973 डेल 67:(1972) 74 पुन एल.

आर. (डी) 177:1973 एसीजे 87 और वैनगार्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चेल्लू हनुमंथा राव 5 के मामले इस प्रकार हैं।इन मामलों में यह स्पष्ट किया गया है कि जहां घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 की धारा 1–ए के तहत देय क्षतिपूर्ति मृतक के उन रिश्तेदारों तक ही सीमित है जिनका नाम उसमें दर्ज है, वहीं धारा 2 के तहत देय क्षतिपूर्ति मृतक के उन प्रतिनिधियों को भी दिया जा सकता है जो मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारी बनने के हकदार हैं।तीसरे प्रकार के मामले वे हैं जिनका उल्लेख गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के कंडिका 7 में किया गया है।ये मामले हैं मोहम्मद हबीबुल्लाह बनाम के. सीताम्मल 6, वीना कुमारी कोहली बनाम पंजाब रोडवेज 7 और ईश्वर देवी मलिक श्रीमती बनाम भारत संघ 8, जिनमें यह मत व्यक्त किया गया है कि मोटर वाहन के उपयोग से उत्पन्न क्षतिपूर्ति का दावा विशेष रूप से अधिनियम की धारा 110 से 110–एफ के प्रावधानों द्वारा शासित होगा और इसका 1855 के अधिनियम के तहत दावों से कोई संबंध नहीं है, और दावा न्यायाधिकरण को बाद वाले अधिनियम के तहत निर्धारित सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त तीनों प्रकार के निर्णयों पर विचार करने के बाद, न्यायमूर्ति अहमदी, जिन्होंने मेघीभाई खिमजी वीरा बनाम चतुरभाई तलजाभाई मामले में निर्णय लिखा, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक के भतीजों द्वारा किया गया आवेदन अधिनियम की धारा 110–ए के तहत स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हमारा मानना है कि भारतीय समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण न्याय, निष्पक्षता और सद्भावना के सिद्धांतों के अनुरूप है। मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु से पीड़ित प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि को मुआवजे की प्राप्ति का उपाय मिलना चाहिए, और यह अधिनियम की धारा 110–ए से 110–एफ में प्रदान किया गया है। ये प्रावधान अपकृत्य विधि के सिद्धांतों के अनुरूप हैं कि प्रत्येक क्षति का उपचार होना चाहिए।मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण को अधिनियम की धारा 110–बी के अनुसार उचित समझे जाने वाले क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है जिन्हें क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। देय क्षतिपूर्ति का निर्धारण और अधिनियम की धारा 110–बी के अनुसार अधिनियम की धारा 110–ए के तहत आवेदन किए जाने वाले कानूनी प्रतिनिधियों के बीच उसका विभाजन विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए।हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि एक भारतीय परिवार में भाई–बहन, भाई के बच्चे और कभी–कभी गोद लिए हुए बच्चे एक साथ रहते हैं और वे परिवार के भरण–पोषण करने वाले पर निर्भर होते हैं। यदि मोटर वाहन दुर्घटना के कारण भरण–पोषण करने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों पर भरोसा करते हुए उन्हें मुआवजा देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है, जिसे जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों के संबंध में अधिनियम में निहित प्रावधानों द्वारा पर्याप्त रूप से संशोधित किया गया है।हम मेघभाई खिमजी वीरा बनाम चतुरभाई तलजाभाई के निर्णय से सहमत हैं और मानते हैं कि मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक के भाई को अधिनियम की धारा 110–ए के तहत याचिका दायर करने का अधिकार है, यदि वह मृतक का विधिक प्रतिनिधि है।

15. निष्कर्ष निकालने से पहले हम यह जोड़ना चाहेंगे कि यद्यपि विधि आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अधिनियम में व्यापक संशोधन किए गए थे, फिर भी संसद ने अधिनियम की धारा 110–ए में संशोधन करके अधिनियम के अध्याय VIII के अंतर्गत दावों के संबंध में "विधिक प्रतिनिधियों" अभिव्यक्ति को "मृतक के पति/पत्नी, माता–पिता और बच्चों" के रूप में परिभाषित करना नहीं चुना, जैसा कि विधि आयोग द्वारा अनुशंसित था।विधि आयोग ने अपनी 85 वीं रिपोर्ट में यह टिप्पणी की थी कि "कानूनी प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति को वही अर्थ देना उचित होगा जो घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रयोजनों के लिए "प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति को दिया गया था और इससे अधिनियम के अध्याय VIII में निहित सामाजिक न्याय के उद्देश्य को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा, जिसके लिए घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 निकटतम सन्निकटन था।यह अनुशंसा अधिनियम की धारा 110–ए में "कानूनी प्रतिनिधि" शब्द के अर्थ पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा व्यक्त किए गए भिन्न–भिन्न विचारों को ध्यान में रखते हुए की गई थी। भारत के विधि आयोग की सिफारिश पर संसद द्वारा कोई कार्यवाही न करने से यह संकेत मिलता है कि संसद का इरादा अधिनियम की धारा 110–ए में "विधिक प्रतिनिधि" शब्द को व्यापक अर्थ देना था और इसे मृतक के पति/पत्नी, माता–पिता और बच्चों तक सीमित नहीं रखना था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. इसी प्रकार एन. जयश्री और अन्य (उपरोक्त) के मामले में,माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 12 से 22 में निम्नलिखित कथन दिया है:---

"12. इस मामले में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि मृतक की सास लंबे समय से मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी।मृतक के आश्रितों की संख्या, जिसमें उसकी सास भी शामिल है (चार), को ध्यान में रखते हुए, एमसीएटी ने मृतक के निजी खर्चों के लिए उसकी आय का एक चौथाई (1/4) भाग काट लिया था।हालांकि, उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता 4, मृतक की सास होने के कारण, मृतक की आश्रित नहीं मानी जा सकती है।इसलिए, उच्च न्यायालय ने आश्रितों की संख्या 3 निर्धारित की और तदनुसार मृतक की आय का एक तिहाई (1/3) भाग उसके निजी खर्चों के लिए काट लिया।

13. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 मुआवजे के लिए आवेदन दाखिल करने का प्रावधान करती है।उक्त धारा का सुसंगत भाग इस प्रकार है:

"166.क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन -----

(1) धारा 165 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति की दुर्घटना से उत्पन्न मुआवजे हेतु आवेदन किया जा सकता है –

(ए) उस व्यक्ति द्वारा जिसने चोट पहुँचाई है; या (बी) संपत्ति के मालिक द्वारा; या

(ग) जहाँ मृतक के समस्त या किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई है; या

(घ) घायल व्यक्ति या मृतक के समस्त या किसी भी विधिक अभिकर्ता द्वारा विधिवत अधिकृत किसी भी एजेंट द्वारा, जैसा भी मामला हो सकता हैःपरंतु कि जहां मृतक के समस्त कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे हेतु ऐसे किसी आवेदन में शामिल नहीं हुए हैं, वहां आवेदन मृतक के समस्त कानूनी प्रतिनिधियों की ओर से या उनके लाभ हेतु किया जाएगा तथा कानूनी प्रतिनिधि जो इस तरह से शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें आवेदन में उत्तरवादी के रूप में शामिल किया जाएगा।

14. मोटर वाहन अधिनियम "कानूनी प्रतिनिधि" शब्द को परिभाषित नहीं करता है।आम तौर पर, "विधिक प्रतिनिधि" का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो विधी रूप से मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है तथा इसमें कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति शामिल है जिसमें क्षतिपूर्ति लाभ प्राप्त करने का विधी अधिकार निहित है। एक "कानूनी प्रतिनिधि" में कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है जो मृतक की संपत्ति के साथ हस्तक्षेप करता है।जरूरी नहीं कि ऐसा व्यक्ति कानूनी उत्तराधिकारी हो।मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारियों को ही कानूनी वारिस कहा जाता है।एक विधिक वारिसान विधिक प्रतिनिधि भी हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. वर्तमान जांच हेतु संकेत के रूप में, केरल मोटर वाहन नियम, 1989, "विधिक प्रतिनिधि" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करता हैः

"2. (k) "विधिक प्रतिनिधि" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है,जो विधिवत मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने का हकदार है, यदि उसने अपनी मृत्यु के समय कोई संपत्ति छोड़ी हो, और इसमें मृतक का कोई भी कानूनी वारिस और मृतक की संपत्ति का निष्पादक या प्रशासक भी शामिल है।

16. हमारी राय में, मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय XII के प्रयोजन के लिए "कानूनी प्रतिनिधि" शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए और इसे केवल मृतक के जीवनसाथी, माता-पिता और बच्चों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मोटर वाहन अधिनियम एक परोपकारी कानून है जिसे पीड़ितों या उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम को उदार और व्यापक व्याख्या की आवश्यकता है ताकि इसके अंतर्निहित वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हो सके और इसके विधायी आशय को साकार किया जा सके।हमारा यह भी मत है कि दावा याचिका दायर करने के लिए दावेदार द्वारा आश्रितता की हानि को सिद्ध करना ही पर्याप्त है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 यह स्पष्ट करती है कि मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि को मुआवजे की प्राप्ति का उपाय मिलना चाहिए।

17. यह सर्वविदित है कि व्यक्तिगत खर्चों के लिए कटौती का प्रतिशत किसी सार्वभौमिक रूप से लागू होने वाले कठोर नियम या सूत्र द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।यह दावेदार और मृतक के बीच के संबंध पर भी निर्भर नहीं करता है।कुछ मामलों में, पिता की अपनी आय हो सकती है और इसलिए उन्हें आश्रित नहीं माना जाएगाकभी-कभी, भाई-बहनों को आश्रित नहीं माना जाएगा क्योंकि वे या तो स्वतंत्र या कमाने वाले

हों, विवाहित हों या पिता पर आश्रित हों।इस प्रकार, व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती का प्रतिशत प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

18. इस मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या चौथा अपीलकर्ता मुआवजे का दावा करने के उद्देश्य से "कानूनी प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा।गुजरात एसआरटीसी बनाम रमनभाई प्रभातभाई 9 में इस न्यायालय ने मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक के भाई के मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत दावा याचिका दायर करने के अधिकार पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया: (एससीसी पृष्ठ 250, पैरा 13) "13.हमारा मानना है कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण भारतीय समाज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्याय, निष्पक्षता और सद्भावना के सिद्धांतों के अनुरूप है।मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु से पीड़ित प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि को मुआवजे की प्राप्ति का उपाय मिलना चाहिए, और यह अधिनियम की धारा 110–ए से 110–एफ में प्रदान किया गया है। ये प्रावधान अपकृत्य विधि के सिद्धांतों के अनुरूप हैं कि प्रत्येक क्षति का उपाय होना चाहिए। मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण को अधिनियम की धारा 110–बी के अनुसार उचित समझे जाने वाले मुआवजे का निर्धारण करने और उस व्यक्ति या व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है जिन्हें मुआवजा दिया जाएगा।अधिनियम की धारा 110–ख के तहत देय मुआवजे का निर्धारण और धारा 110–अ के तहत आवेदन दायर किए जा सकने वाले कानूनी प्रतिनिधियों के बीच उसका उचित बंटवारा कानून के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार किया जाना चाहिए।हमें याद रखना चाहिए कि एक भारतीय परिवार में भाई–बहन, भाई के बच्चे और कभी–कभी गोद लिए हुए बच्चे एक साथ रहते हैं और वे परिवार के भरण–पोषणकर्ता पर निर्भर होते हैं। यदि मोटर वाहन दुर्घटना में भरण–पोषणकर्ता की मृत्यु हो जाती है, तो घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के प्रावधानों के आधार पर उन्हें मुआवजा देने से इनकार करने का कोई औचित्य नहीं है, जिसे हमने पहले ही कहा है कि मोटर वाहन दुर्घटनाओं से संबंधित मामलों के संबंध में अधिनियम में निहित प्रावधानों द्वारा पर्याप्त रूप से संशोधित किया गया है।हम मेघीभाई खिमजी वीरा बनाम चतुरभल तलजाभा के फैसले से सहमत हैं और मानते हैं कि मोटर वाहन दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति का भाई अधिनियम की धारा 110–अ के तहत याचिका दायर करने का हकदार है, यदि वह मृतक का कानूनी प्रतिनिधि है। (जोर दिया गया)

19. हाफ़िज़ुन बेगम बनाम मोहम्मदइकराम हेक 10 में यह निर्णय दिया गया था कि: (एससीसी पृष्ठ 718,कंडिका 7)

"7.'..... 12.जैसा कि इस न्यायालय ने बैंको नेशनल अल्ट्रामारिनो की शाखाओं के संरक्षक बनाम नलिनी बाई नाइक के मामले में कहा है, सीपीसी की धारा 2(11) में दी गई परिभाषा समावेशी प्रकृति की है और इसका दायरा व्यापक है; यह केवल कानूनी वारिसों तक ही सीमित नहीं है। इसके बजाय, इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति, जो कानूनी वारिस हो भी सकता है और नहीं भी, मृतक की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने के लिए सक्षम है, मृतक व्यक्ति की संपत्ति का प्रतिनिधित्व कर सकता है।इसमें उत्तराधिकारी और साथ ही वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो मृतक की संपत्ति के निष्पादक या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रशासक के रूप में, भले ही उनके पास संपत्ति का कोई अधिकार न हो, संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।ऐसे समस्त व्यक्तियों को "कानूनी प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति द्वारा कवर किया जाएगा।जैसा कि गुजरात एस. आर. टी. सी. बनाम रमनभाई प्रभातभर में देखा गया है कि एक विधिक प्रतिनिधि वह है जो मोटर वाहन दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित है तथा जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता–पिता तथा बच्चा हो।[एड। जैसा कि मंजुरी बेरा बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2007) 10 एस. सी. सी. 643 में देखा गया है,पी. 648, कंडिका 12.] "(जोर दिया गया)

20 मॉन्टफोर्ड ब्रदर्स ऑफ सेंट गेब्रियल बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस 11 के मामले में, इस न्यायालय ने एक धर्मार्थ संस्था द्वारा अपने सदस्य की मृत्यु के कारण मुआवजे की मांग वाली याचिका पर विचार किया था। उस मामले में अपीलकर्ता संस्था एक पंजीकृत धर्मार्थ संस्था थी और कैथोलिक चर्च की एक घटक इकाई के रूप में विभिन्न संस्थाओं का संचालन कर रही थी।इस संस्था में शामिल होने के बाद इसके सदस्यों ने सांसारिक बंधन त्याग दिए और उन्हें "भाई" के नाम से जाना जाता था।इस मामले में, एक "भाई" की मोटर वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई।उपरोक्त "भाई" की मृत्यु के कारण मुआवजे की मांग करते हुए अपीलकर्ता संस्था द्वारा दायर याचिका को उच्च न्यायालय ने इसकी स्वीकार्यता के आधार पर खारिज कर दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इस न्यायालय ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की जांच करने के बाद यह माना कि अपीलकर्ता संस्था मृतक "भाई" की विधिक प्रतिनिधि थी।दावा याचिका को स्वीकार करते समय यह देखा गया कि ::––:(मोंटफोर्ड ब्रदर्स केस, एस. सी. सी. पी. 400, कंडिका 17)

"17.न्यायाधिकरण के निर्णय और आदेश का अध्ययन करने पर पता चलता है कि यद्यपि विवाद्यक 1 पर जोर नहीं दिया गया और इसलिए अपीलकर्ता दावेदारों के पक्ष में निर्णय सुनाया गया, लेकिन दावेदारों के लिए क्षतिपूर्ति की राशि पर विचार करते समय, ट्रिब्यूनल ने बहुत सतर्क दृष्टिकोण अपनाया और अपने लिए यह प्रश्न निर्धारित किया कि ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति का आकलन करने का मानदंड क्या होना चाहिए जहां मृतक रोमन कैथोलिक था और उसने अपने परिवार का त्याग करने के बाद चर्च की सेवाओं में शामिल हुआ था, और इस प्रकार उसका कोई वास्तविक आश्रित या आय का स्रोत नहीं था? इस विवाद्यक का उत्तर देने के लिए, न्यायाधिकरण ने न केवल अमेरिकी और अंग्रेजी न्यायालय के निर्णय पर बल्कि भारतीय निर्णय पर भी भरोसा किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता की मृत्यु के कारण एक धार्मिक संस्था या संगठन को भी काफी नुकसान हो सकता है।न्यायाधिकरण ने यह भी तय किया कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में मुआवजे का हकदार कौन होना चाहिए तथा उस उद्देश्य हेतु उसने सुदामा देवी बनाम जोगेंद्र चौधरी 12 मामले में पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि "कानूनी प्रतिनिधि" शब्द इतना व्यापक है कि इसमें मृतक की संपत्ति के साथ "मध्यस्थ" भी शामिल हैं।न्यायाधिकरण ने कुछ भारतीय निर्णयों का भी उल्लेख किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यासी तथा न्यास संपत्ति के उत्तराधिकारी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (11) के अर्थ के भीतर कानूनी प्रतिनिधि हैं।

22. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, चौथी अपीलकर्ता मृतक की सास थी। अभिलेख में मौजूद सामग्री से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह मृतक और उसके परिवार के सदस्यों के साथ रह रही थी।वह अपने रहने और भरण–पोषण के लिए मृतक पर निर्भर थी। भारतीय समाज में यह आम बात है कि सास वृद्धावस्था में अपनी बेटी और दामाद के साथ रहती है और अपने भरण–पोषण के लिए दामाद पर निर्भर रहती है।अपीलकर्ता 4 मृतक की कानूनी उत्तराधिकारी भले ही न हो, लेकिन उसकी मृत्यु से उसे निश्चित रूप से हानि हुई है।इसलिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के अंतर्गत "विधिक प्रतिनिधि" है और दावा याचिका दायर करने की हकदार है।"

10. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के मामले, द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) पर विचार किया है औरकंडिका 5 और 8 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:---

5. विपरीत साक्ष्य के अभाव में, भाई–बहनों को आश्रित नहीं माना जाएगा क्योंकि वे या तो स्वतंत्र और कमाने वाले होंगे, या विवाहित होंगे, या पिता पर आश्रित होंगे।

8. उपरोक्त को देखते हुए, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय को तीनों बड़े विवाहित भाई–बहनों को मृतक पीड़ित पर आश्रित नहीं मानना चाहिए था।अत: विवाहित भाई–बहनों को दिया गया मुआवजा अनुचित पाया गया है।तदनुसार, अपील को स्वीकार करते हुए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के उस निर्णय को रद्द किया जाता है जिसे उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के तहत बरकरार रखा था।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साधना तोमर और अन्य बनाम अशोक कुशवाहा और अन्य के मामले में, जिसका उल्लेख (2025) लाइव लॉ (एससी) 309 में किया गया है, कंडिका 13, 14, 15 में निम्नलिखित निर्णय दिया है:---**

"13. इस न्यायालय ने मीना देवी बनाम नुनू चंद महतो (2023) 1 एससीसी 204 के मामले में स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजा देने का उद्देश्य पीड़ित पक्ष को उचित और न्यायसंगत मुआवजा सुनिश्चित करना है।एक अन्य प्रश्न जो हमारे विचार के लिए उठा, वह यह था कि आश्रितता की हानि के उद्देश्य से, वार्षिक आय की कटौती 1/3 या 1/4 होनी चाहिए, क्योंकि पांच दावेदार हैं।न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता संख्या 4 और 5, अर्थात् मृतक के पिता और छोटी बहन को आश्रित नहीं माना है, यह कहते हुए कि पिता मृतक की आय पर आश्रित नहीं थे और चूंकि पिता जीवित हैं, इसलिए छोटी बहन भी मृतक की आय पर आश्रित नहीं है।इस न्यायालय ने गुजरात एसआरटीसी बनाम रमनभाई प्रभातभाई [(1987) 3 एससीसी 234] में यह टिप्पणी की कि एक कानूनी प्रतिनिधि वह होता है, जो मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित होता है। दुर्घटना और जरूरी नहीं कि वह पत्नी, पति, माता–पिता या बच्चा ही हो।

14. हाल ही में एन. जयश्री बनाम चोलमंडालम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [(2022) 14 एससीसी 712] के मामले में, इस न्यायालय ने टिप्पणी की कि:

"16 हमारे विचार में, मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय XII के प्रयोजन के लिए "विधिक प्रतिनिधि" शब्द की व्याख्या व्यापक होनी चाहिए और इसे केवल मृतक के जीवनसाथी,माता–पिता और बच्चों तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मोटर वाहन अधिनियम पीड़ितों या उनके परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया एक परोपकारी कानून है।इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्निहित वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति और इसके विधायी आशय को साकार करने के लिए इसकी उदार और व्यापक व्याख्या आवश्यक है।हमारा यह भी मानना है कि दावा याचिका दायर करने के लिए, दावेदार द्वारा अपने आश्रितों के खोने का प्रमाण देना ही पर्याप्त है।मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 यह स्पष्ट करती है कि मोटर वाहन दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण पीड़ित प्रत्येक कानूनी प्रतिनिधि को मुआवजे की प्राप्ति का उपाय मिलना चाहिए।(जोर दिया गया)

15.हमारे विचार में, कानून की उपरोक्त व्याख्या के अनुसार, अपीलकर्ता संख्या 4 और 5, मृतक के पिता और छोटी बहन होने के नाते, दोनों आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे के हकदार नहीं हैं। उन्हें मृतक की आय पर आश्रित माना गया है, क्योंकि मृतक परिवार के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए फलों का थोक व्यापार करता था।अतः, मृतक के व्यक्तिगत खर्चों के लिए की गई कटौती 1/4 होनी चाहिए, क्योंकि आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या पाँच है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. वर्तमान मामले में, दावाकर्ता की स्थिति का विश्लेषण करते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर विधिवत विचार किया गया है।दावाकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि वे मृतक के सगे भाई और भतीजे हैं।यह स्वीकार किया गया है और सिद्ध हो चुका है कि वे मृतक से अलग रहते थे और स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करते थे।पक्षकारों के राशन कार्ड उनके अलग–अलग रहने की व्यवस्था की पुष्टि करते हैं। साक्ष्य के मूल्यांकन से यह स्पष्ट होता है कि मृतक पर दावेदार पूर्णतः या आंशिक रूप से आश्रित थे। इस बात का कोई दस्तावेजी या मौखिक प्रमाण नहीं है कि मृतक दावेदारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा था या वे किसी शारीरिक या आर्थिक अक्षमता के कारण कमाने में असमर्थ थे।इसके अलावा, यह साबित नहीं हुआ है कि दावेदार मृतक के समान व्यापार या व्यवसाय में लगे हुए थे या मृतक की आय सीधे तौर पर उनकी आजीविका का हिस्सा थी।केवल दावा दायर करने से आश्रितता साबित नहीं होती।माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार, आश्रितता एक तथ्यात्मक प्रश्न है और इसे दावेदारों द्वारा सिद्ध किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, दावाकर्ता आश्रितता साबित करने का भार वहन करने में विफल रहे हैं।

13. गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (उपरोक्त) मामले में,माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि, जैसे कि पिता और छोटी बहन, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत "विधिक प्रतिनिधियों" के दायरे में आ सकते हैं और उन्हें मुआवजे के

पात्र आश्रित माना जा सकता है।हालांकि, वर्तमान मामले में ऐसी परिस्थितियाँ सिद्ध नहीं होती हैं। दावेदार वयस्क रिश्तेदार हैं, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और मृतक से अलग रहते हैं। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चले कि वे अपनी जीविका के लिए मृतक पर निर्भर थे।

14. उपरोक्त निष्कर्षों के तहत, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यद्यपि दावेदार आश्रित न होने के कारण "आश्रितता की हानि" मद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं हैं, फिर भी वे पारंपरिक मदों के अंतर्गत मुआवजे के हकदार हैं, जैसा **किनेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680 में दिए गए निर्णय में कहा गया है।**

15. तदनुसार, दावाकर्ता निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति के हकदार हैं:

| | स.क. । शीर्ष | गणना (रुपये में) |
|---|---|---|
| 1 | संघ के नुकसान के लिए (₹40,000 × 2 दावेदार) हर तीन वर्ष में 10% की वृद्धि के साथ | ₹48,000/- * 2 = ₹96,000/- |
| 2. | अंत्येष्टि खर्च (10 प्रतिशत वृद्धि के साथ 15,000/- रुपये) | ₹18,000/- |
| 3 | संपत्ति का नुकसान (10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15,000 रुपये) | ₹18,000/- |
| | कुल क्षतिपूर्ति | ₹1,32,000/- |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्त तथ्यों तथा मामले की परिस्थितियों के आलोक में, बीमा कंपनी द्वारा दायर अपीलों की आंशिक रूप से स्वीकृति दि जाती है।दावाकर्ता को मृतक का आश्रित नहीं माना गया है और इसलिए वे आश्रितता हानि मद के अंतर्गत क्षतिपूर्ति अर्थात 1,16,000 रुपये केपाने के हकदार नहीं हैं।हालांकि, दावाकर्ता केवल ऊपर बताए गए पारंपरिक मदों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के हकदार हैं,।

17. यदि दावाकर्ता को 1,16,000/- रुपये से अधिक कोई राशि का भुगतान किया जा चुका है, तो बीमा कंपनी विधि के अनुसार दावाकर्ता से अतिरिक्त राशि वसूल करने की हकदार होगी।

सही /-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)**

***अस्वीकरणः*** *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***